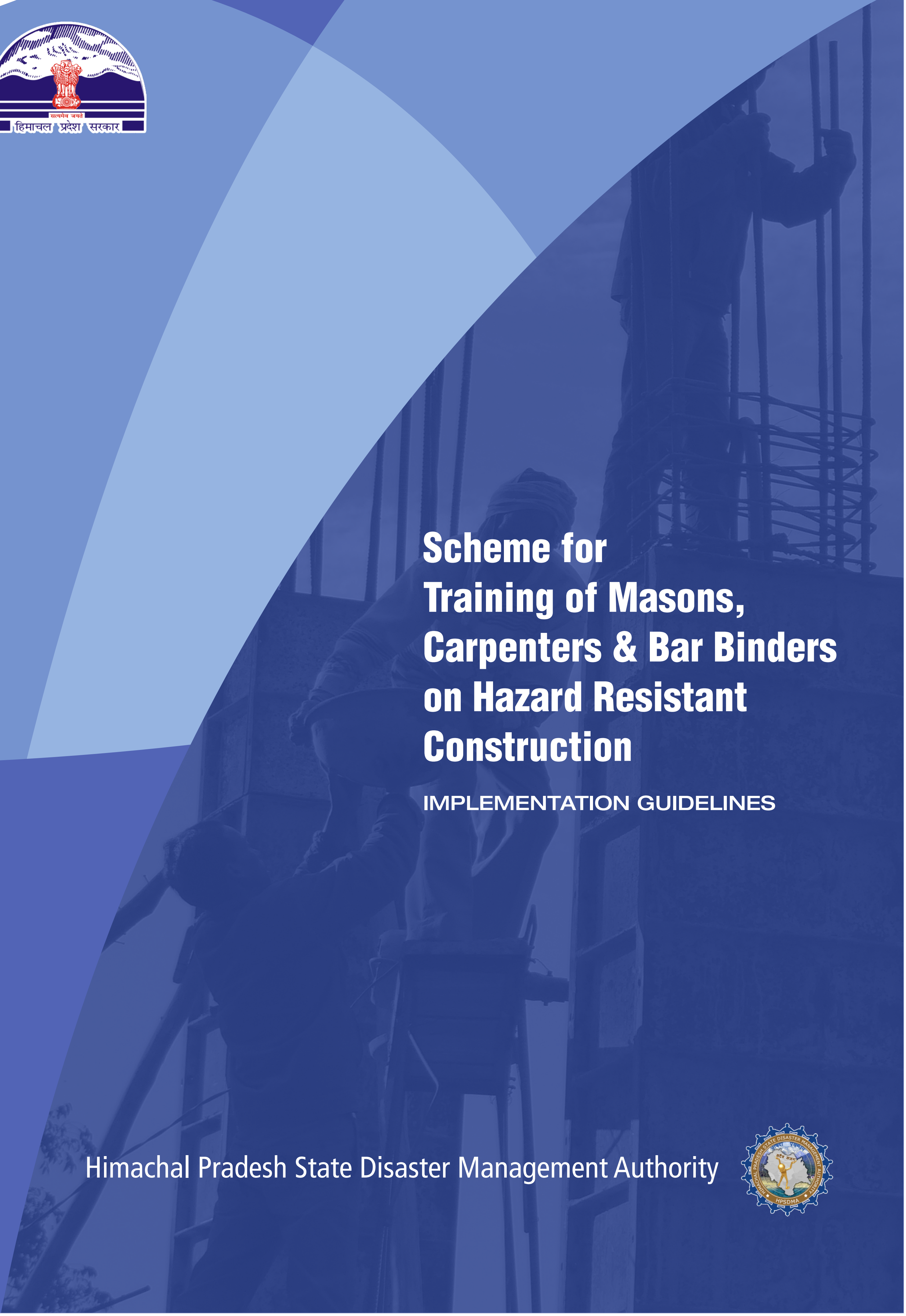

Scheme for Training of Masons, Carpenters & Bar Binders on Hazard Resistant Construction

IMPLEMENTATION GUIDELINES

Himachal Pradesh State Disaster Management Authority

Government of Himachal Pradesh
Department of Revenue(Disaster Management)

No.Rev(DMC)(F)4-2/2000/SEC Dated the 29 September, 2018

NOTIFICATION:

The Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify Scheme on "Capacity Building of Masons, Carpenter and Bar Binders at Panchyat level for Safe Construction in HP" as per the Annexure enclosed spelling out the role of Stakeholders on the recommendations of State Executive Committee constituted as per provisions of Disaster Management Act-2005 to build a safer and disaster resilient State by initiating proactive prevention, mitigation and preparedness to ensure minimize loss of life, livelihood and property with immediate effect.

All concerned stakeholder departments will implement the scheme in their respective departments in letter and spirit and send action plan and requirement of funds to the Revenue (DM) department within a month's period.

By order
M Nanda
Manisha Nanda 27.9.18
Additional Chief Secretary(Rev-DM) to the
Government of Himachal Pradesh.

To
1. All Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. All Heads of Departments in Himachal Pradesh.
3. All Deputy Commissioners-cum-Chairman, DDMAs in HP.
4. The Commissioner, Municipal Corporations Shimla and Dharamshala.
5. The Secretary (GAD) to the Government of Himachal Pradesh w.r.t. item No.15 of Cabinet decision held on 14.8.2018 for information.
6. The Director of Town and Country Planning, Himachal Pradesh, Simla-2.
7. The Director of Rural Development and Panchyati Raj, HP Simla-9
8. The Director, HP Institute of Public Admn, Fairlawns, Simla-12
9. The Controller of P&S, HP for publication in Gazette.

(Milap Chand),
Under Secretary(Rev-DM) to the
Government of Himahal Pradesh.

I. BACKGROUND

Majority of the buildings in HP are made of mud, unburnt bricks, stone wall, RCC etc. which are at high risk, especially in case of earthquake. The poorly designed and constructed RCC structures cause very significant life and property risk. This can be one large vulnerability factor, and a cause for concern in HP given the significant shift to RCC construction across the state. The poorly designed and constructed RCC structures pose a risk of heavy collapse and this risk is continuously increasing.

Factors affecting the quality of construction in Himachal Pradesh include non-availability of skilled construction workers for construction, reconstruction and retrofitting. Due to shortage of skilled workers there is serious adverse impact on the quality of construction, leading to an overall degradation of the built environment in the state. Poor use of construction material, quality of construction material and absence of ductile detailing of existing building is a problem area worth consideration.

Absence of durable design and lowly maintained buildings pose a high hazard to the building stock in the state. On the other hand, a variety of traditional construction techniques exist in various parts of the state and though limited use of these techniques is made in the State, they are significant since they have been tested for seismic safety over the time. The masons in the State are also most familiar with these techniques and have been known to attempt replication of these techniques in modern structures. Due to lack of any formal training of construction workers, the quality of construction is suffering, and it is also difficult to use new materials and techniques of construction.

The Disaster Management Act, 2005 lays down that the State Governments and its departments shall ensure that constructions are carried out keeping in view the vulnerability of the State to various hazards and training and capacity building programs are carried out for all the stakeholders. In this direction, the DM Cell, Deptt. of Revenue carried out a study on "Evolving Strategy for Capacity Building of Masons, Carpenter and Bar Binders at Panchayat Level for Safe Construction in Himachal Pradesh" in 2012.

The findings of the Study are that despite growth of construction activity in the state, driven by increasing demands of a thriving economy, availability of skilled construction workers continues to be an issue. This scarcity is most evident in the lack of skilled masons required to carry out retrofitting, construction and re-construction work. Interestingly, in the rural areas, the mason is the first point of contact, whenever the house owner decides to undertake construction in his/her house. Almost no technical knowledge, validation of practices, or technical supervision takes place at the time of construction which leads to compromise in quality and safety of the buildings, the study concludes.

Further a study was also carried out through the National Institute of Technology (NIT), Hamirpur to study the current construction practices in Hamirpur district and to suggest the state-specific guidelines for safe construction practices in Himachal Pradesh. Under this study the NIT also developed a tool for masons on safe construction practices and guide for homeowners.

II. TRAINING NEEDS AND STRATEGY

After due deliberation, the emerging training needs of Masons and others construction workers has been identified as under:

- **a.** Training course should be simple and comprehensive.
- **b.** Building a cadre of Master Trainers.
- **c.** It should be a fair mix of practical hands on training and formal
- **d.** Certification & recognition is essential.
- **e.** Linkage with work- training with a robust system of apprenticeship.
- **f.** Mobilization should be done at the Panchayat Level.

In view of this, it is envisaged as under:

- **i.** A state level institution may anchor the trainings of all the construction workers.
- **ii.** The institution may maintain GIS data base of skilled and trained personnel and share the information with potential employers.
- **iii.** The institution should outreach to the trained workers with the market information, potential livelihood opportunities, etc.
- **iv.** Capacity Building can be achieved in public-private-partnership mode. The State Govt. has an extensive network of training institutions and can provide support of the cadre of trained resource persons. Private sector and NGOs may be mandated to carry out the programme with existing govt. institutions. Agencies can undertake training on agreed contents and structure and style of teaching. Local Panchayats and Community Based Organisations (CBOs) may be invited to support mobilisation of eligible and willing youth for entry level course.

III. TRAINING & CAPACITY BUILDING

Training, education & awareness issues will be dealt at three levels to run the Scheme:

- **i.** Training of Trainers and sensitization of policy and planning makers;
- **ii.** Training and Capacity Building of Engineers, Architects and supervisory technical persons; and
- **iii.** Training and capacity building of masons, carpenters, bar benders and other skilled workers involved in construction activities.

a. The Training of Trainers & sensitization of policy and planning personnel shall be coordinated by the DMC and HIPA. The Modules for training/sensitization program for this purpose will be developed by HIPA in consultation with NIT, NIDM, NDMA and UNDP.

b. Technical Education Department shall work out modalities for the conduct of trainings through Polytechnics and ITIs, prepare training modules and manuals and certification procedures and share the same with the DMC. The IIT Mandi and NIT Hamirpur will assist the department in this regard. The DMC will take into consideration the existing training material prepared by various agencies across the state and the country.

c. To develop quality and competent engineering skills, the NIT Hamirpur shall coordinate and provide training programs to Engineers and Architects. The DMC will provide the necessary support to NIT Hamirpur & IIT Mandi.

d. Considering the importance and magnitude of the issue this process is required to be institutionalized in the department of Technical Education. The civil Engineering departments/ wings in the ITIs and Polytechnics located in the state shall be the nodal agencies for the training and capacity building of masons. The Department of Technical Education will work out mechanism for providing certificates through evaluation process.

e. The DMC shall work out a policy intervention vide which it can be made compulsory to engage only trained persons in construction activities in future.

IV. ROLES OF THE DIFFERENT STAKEHOLDERS

A. <u>Role of Corporate Sector</u>

It is recognized that the contribution and role of corporate sector in supplementing the efforts of Govt. especially in developing training nodes in ITIs and polytechnics. The efforts made by some cement companies in organizing sensitizing programmes for Masons were laudable. But it is suggested that the coordinated efforts can produce the desired impact and hence suggested that assistance of corporate sector may be considered in the following way:

i. Adoption of a certain number of ITIs/ Polytechnics and support them in providing quality training programs.

ii. Address the livelihood subsistence concerns of trainees during the period they are under training and providing financial assistance to those who are not engaged in paid employment.

iii. Provide support in developing help centers at district level.

B. Role of Department of Rural Development

The department of Rural Development shall undertake the following:

i. Registration and listing of all masons to be trained/ trained in the State. The department shall prepare a database in GIS environment and shall coordinate with the Department of Science, Technology and Environment for this purpose. The database of Masons prepared by ACC Limited will also be used for this purpose.

ii. To work out a scheme for including Disaster Management trainings as part of ongoing programmes being implemented by department of Rural Development.

C. Role of Non-Governmental Organisations

The NGOs shall provide the necessary link between the Government. agencies and the beneficiaries. The NGOs shall primarily be responsible for mobilizing the masons for training programs to be conducted in the IITs and Polytechnics.

V. FUNDING ARRANGEMENTS

Funding arrangement for the scheme is envisaged as under:

i. The expenses towards the cost of training would be met out of 14th and subsequent Finance Commissions Grant in Aid or other funds available with the DMC. Funds may also be obtained from other source such as Govt. of India Scheme(s), CSR, other donor agencies, etc.

ii. The masons may be trained and paid daily wages on the rates notified by the State Government while working in the ongoing projects of Rural Development and other departments of the State wherever practical.

iii. The Technical Education Department may create knowledge cells at Polytechnics and ITIs using its own resources or funds available under CSR. However, the Department of Revenue, (DMC) may provide funds to Polytechnics/ITI wherever such funds can't be made available otherwise.

VI. CLARIFICATION

The Department of Revenue, DM Cell may issue clarification and make notification in the scheme for smooth implementation.

हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित निर्माण के लिए पंचायत स्तर पर मेसन (मिस्त्री), कारपेंटर और बार बाइंडर्स की क्षमता निर्माण हेतु योजना

कार्यान्वयन दिशानिर्देश

I. पृष्ठभूमि

हिमाचल प्रदेश में अधिकांश भवन मिट्टी, कच्ची ईंट, पत्थर की दीवार, आर॰सी॰सी॰ इत्यादि से निर्मित हैं जो विभिन्न प्रकार के संकटों, विशेषकर भूकम्प के प्रति जोखिम में हैं। खराब डिजाईन और बनाई गईं आर॰सी॰सी॰ संरचनाए जीवन और सम्पत्ति के लिए व्यापक जोखिम उत्पन्न करती हैं। यह भूकम्प आदि संकटों के प्रति निवासियों की भौतिक भेद्यता को बढ़ाने का कारक है व राज्य के लिए चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश में गलत ढंग से डिजाइन की गईं व बनाई गईं बहुत सी आर॰सी॰सी॰ संरचनाओं के ढह जाने का जोखिम है जो कि निरंतर बढ़ता जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश में निर्माण की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्यतः निर्माण, पुर्ननिर्माण और सुदृढीकरण के लिए कुशल निर्माण श्रमिकों की अनुपलब्धा शामिल है। कुशल श्रमिकों की कमी के कारण निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे राज्य में भौतिक (मानव–निर्मित) पर्यावरण का व्यापक पतन हो रहा है।

निर्माण सामग्री का गलत प्रयोग, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और मौजूदा भवन के लचीले विस्तार का अभाव एक समस्या है जो विचार करने योग्य है। इसके अतिरिक्त भवनों में टिकाऊ डिजाइन व सही रख रखाव का अभाव भवनों का जोखिम बढ़ाता है।

दूसरी और राज्य के कई हिस्सों में विभिन्न प्रकार की पारम्परिक निर्माण तकनीक मौजूद हैं और यद्यपि इन तकनीकों का राज्य में बहुत सीमित उपयोग किया जाता है, वे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये समय–समय पर भूकम्पीय सुरक्षा के लिहाज से परखी जा चुकी हैं। राज्य में मिस्त्री भी इन तकनीकों से परिचित हैं और आधुनिक ढाँचों में इनका प्रयोग करने के प्रयास करते रहते हैं। निर्माण श्रमिकों के किसी भी औपचारिक प्रशिक्षण की कमी के कारण निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और निर्माण की नई सामग्रियों और तकनीकों का उपयोग करने में भी कठिनाई पेश आ रही है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार राज्य सरकारें और इसके विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न आपदाओं के लिए राज्य की भेद्यता को ध्यान में रखते हुए निर्माण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम सभी हितधारकों के लिए किए जाएंगे। इस दिशा में राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (डी॰एम॰सी॰) ने वर्ष 2012 में हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित निर्माण के लिए पंचायत स्तर पर मिस्त्री, कारपेंटर और बार बाइंडर्स की क्षमता निर्माण पर रणनीति विकसित करने के लिए पर एक अध्ययन करवाया था। अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि राज्य में निर्माण गतिविधियों जो कि अर्थव्यवस्था की बढ़ती मांगों से प्रेरित है, में कुशल निर्माण श्रमिकों की उपलब्धता एक चुनौती है। रेट्रोफिटिंग निर्माण और पुनः निर्माण कार्य करने के लिए आवश्यक कुशल मिस्त्रियों की कमी में यह कमी सबसे स्पष्ट है। एक रोचक तथ्य यह है कि जब भी घर मालिक अपने घर में निर्माण करने का निर्णय करता है तो ग्रामीण इलाकों में मिस्त्री सम्पर्क का पहला बिन्दु है। अध्ययन में यह भी सामने आया है कि निर्माण के समय कोई तकनीकी ज्ञान, प्रथाओं का पालन या तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं होता है।

इसके अलावा एन॰आई॰टी॰ हमीरपुर के माध्यम से हमीरपुर जिले में मौजूदा निर्माण प्रथाओं का अध्ययन करने और हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित निर्माण प्रथाओं के लिए विशेष–रूप से राज्य पर केन्द्रित दिशा निर्देश सुझाने के लिए एक अध्ययन भी किया गया था। इस अध्ययन के अन्तर्गत एन॰आई॰टी॰ ने सुरक्षित निर्माण प्रथाओं के बारे में मिस्त्रियों और भवन स्वामियों के लिए मार्गदर्शन पर एक उपकरण (tool) भी विकसित किया।

II. प्रशिक्षण आवश्यकताएँ व रणनीति

उचित विचार–विमर्श के बाद मिस्त्री व अन्य निर्माण मजदूरों के प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पहचान निम्नानुसार की गई है:

- क प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सरल और व्यापक होना चाहिए।
- ख यह औपचारिक व प्रायोगिक (व्यवहारिक) प्रशिक्षण का एक उचित मिश्रण होना चाहिए।
- ग प्रमाणन और मान्यता आवश्यक है।
- घ काम के साथ जुड़ाव– शिक्षुता की एक मजबूत प्रणाली के साथ प्रशिक्षण।
- ङ मास्टर प्रशिक्षकों के एक कैडर का निर्माण।
- च पंचायत स्तर पर संचालन किया जाना चाहिए।

इसी को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित परिकल्पना की गई है कि:

1. एक राज्य–स्तरीय संस्थान सभी निर्माण श्रमिकों के प्रशिक्षण को संचालित कर सकता है।
2. यह संस्थान कुशल और प्रशिक्षित कर्मियों का GIS डेटाबेस भी बना सकता है और संभावित नियोक्ताओं (employers) के साथ इस जानकारी को साझा कर सकता है।
3. उक्त संस्थान को प्रशिक्षित श्रमिकों को बाजार की जानकारी, संभावित आजीविका के अवसर के साथ जोड़ना चाहिए।
4. क्षमता निर्माण सार्वजनिक–निजी साझेदारी के जरिए किया जा सकता है। सरकार के पास प्रशिक्षण संस्थानों का व्यापक नेटवर्क है, तथा प्रशिक्षण के लिए संसाधन व्यक्तियों का कैडर प्रदान कर सकता है। निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों को अधिकार दिया जा सकता है कि वे इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करें। एजेंसियां तय की गई विषय–वस्तु, संरचना और शिक्षण की शैली के अनुसार प्रशिक्षण दे सकती है। स्थानीय पंचायत और समुदाय आधारित संगठनों को आमंत्रित किया जा सकता है कि वे पात्र और इच्छुक युवाओं को प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित करें।

III. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

इस योजना को लागू करने के लिए प्रशिक्षण, शिक्षा और जन–जागरूकता के मुद्दों को तीन स्तरों पर निपटाया जाएगा:

1. प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण और नीति योजना निर्माताओं की सुग्राहीकरण।
2. इंजीनियरों, वास्तुकार और पर्यवेक्षी तकनीकी व्यक्तियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
3. निर्माण गतिविधियों (कार्यकलाप) में शामिल मिस्त्री, कारपेंटर, बार बेंडर्स और अन्य कुशल श्रमिकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

क प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण व नीति निर्माताओं के सुग्रहीकरण का समन्वयन आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (डी॰एम॰सी॰) और हि॰ प्र॰ लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) द्वारा किया जाएगा। इस उद्देश्य से सुग्राहीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मॉडयूल हिपा द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के परामर्श से विकसित किए जाएंगे।

ख तकनीकी शिक्षा विभाग पॉलिटेक्निक और आई॰टी॰आई॰ के माध्यम से प्रशिक्षण के संचालन के लिए साधन का काम करेगा, प्रशिक्षण मॉडयूल और मैनुअल और प्रमाणन प्रक्रिया तैयार करेगा और इसे आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ, राजस्व विभाग के साथ साझा करेगा। आई॰आई॰टी॰ मण्डी व एन॰आई॰टी॰ हमीरपुर इस संबंध में विभाग की सहायता करेंगे। विभाग राज्य और देश भर में विभिन्न ऐजेंसियों द्वारा तैयार की गई मौजूदा प्रशिक्षण सामग्री को ध्यान में रखेगा।

ग गुणवत्ता और सक्षम इंजीनियरिंग कौशल विकसित करने के लिए एन॰आई॰टी॰ हमीरपुर समन्वयन करेगा और इंजीनियरों व वास्तुकारों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ, राजस्व विभाग आई॰टी॰आई॰ मण्डी व एन॰आई॰टी॰ हमीरपुर को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

घ इस मुद्दे के महत्व और परिणाम को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को तकनीकी शिक्षा विभाग में इस कार्यक्रम को संस्थागत बनाया जाना आवश्यक है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में स्थित आई॰टी॰आई॰ और पॉलिटेक्निक के सीविल इंजीनियरिंग विंग/विभाग मिस्त्रियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए नोडल विभागों के रूप में कार्य करेगें। तकनीकी शिक्षा विभाग मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए तंत्र विकसित करेगा।

ङ आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ इसके लिए नीतिगत हस्तक्षेप का प्रयास करेगा, जिसके अधीन भविष्य में निर्माण गतिविधियों में केवल प्रशिक्षित मिस्त्रियों को शामिल करने के लिए अनिवार्य किया जा सकेगा।

IV. विभिन्न हितधारकों की भूमिका

(क) कॉर्पोरेट क्षेत्र की भूमिकाः

सरकार के प्रयासों को पूरक बनाने में कॉर्पोरेट क्षेत्र का योगदान एवं भूमिका विशेषकर आई॰टी॰आई॰ और पॉलि–टेक्निक में प्रशिक्षण नोड्स विकसित करने में, महत्वपूर्ण है। मिस्त्रियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सिमेंट कंपनियों द्वारा किए गए प्रयास प्रंशसनीय हैं। समन्वित प्रयास वांछित प्रभाव पैदा कर सकते है और इसलिए सुझाव दिया गया कि कॉर्पोरेट क्षेत्र की इस कार्यक्रम में निम्नलिखित से सहायता की जा सकती है।

1. पॉलिटेक्निक एवं आई॰टी॰आई॰ की कुछ संख्या को अपनाकर उनका प्रशिक्षण के लिए सुदृढ़ीकरण और सभी को गुणवत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने में उनका समर्थन करना।
2. प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं की आजीविका की चिन्ता चिंताओं को समझना और उन प्रशिक्षुओं जिनके पास रोजगार नहीं है, की आर्थिक सहायता करना।
3. जिला स्तर पर सहायता केन्द्रों के विकास में सहायता प्रदान करें।

(ख) ग्रामीण विकास विभाग की भूमिकाः

ग्रामीण विकास विभाग निम्नलिखित कार्य करेगा:

1. राज्य में प्रशिक्षित होने के लिए सभी मिस्त्रियों का पंजीकरण और लिस्टिंग करना। विभाग जी॰आई॰एस॰ डेटाबेस तैयार करेगा और इस उद्देश्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग के साथ समन्वय करेगा। ए॰सी॰सी॰ लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए मिस्त्रियों का डेटाबेस भी इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा।
2. आपदा प्रबन्धन को विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में शामिल करना।

(ग) गैर–सरकारी संगठनों की भूमिकाः

गैर–सरकारी संगठन सरकारी के बीच आवश्यक कड़ी (संपर्क) प्रदान करेंगे। गैर–सरकारी संस्थाएं मुख्य तौर पर एजेंसियों और लाभार्थियों से आई आई टी और पॉलिटेक्निक में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मिस्त्रियों को संगठित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

V. वित्त पोषण

योजना के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था निम्नानुसार उल्लेखित है:

1. प्रशिक्षण की लागत के लिए व्यय सहायता में 14वें व भविष्य के वित्त आयोग अनुदान या आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (डी॰एम॰सी॰) के साथ उपलब्ध अन्य फंडों से मिलेगा। अन्य स्त्रोतों से जैसे सरकार से धन प्राप्त किया जा सकता है। भारत सरकार की योजना, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी॰एस॰आर॰), अन्य दाता एजेंसियां इत्यादि से भी व्यय के लिए धन प्राप्त किया जा सकता है।
2. मिस्त्रियों को, जहां भी व्यवहारिक हो, ग्रामीण विकास और राज्य के अन्य विभागों की चल रही परियोजनाओं में काम करते समय राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दरों पर भुगतान किया जा सकता है।
3. तकनीकी शिक्षा विभाग पॉलिटेक्निक और आई॰टी॰आई॰ में अपने स्वयं के संसाधनों या सी॰एस॰आर॰ के अधीन उपलब्ध निधि का उपयोग करके ज्ञान कक्ष बना सकता है। तथापि, राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, पॉलिटेक्निक/आई॰टी॰आई॰ को निधि (वित्त) उपलब्ध करा सकता है, जहां भी ऐसी निधि अन्यथा उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती हो।

VI. स्पष्टीकरण

राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (डी॰एम॰सी॰) स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है।

हिमाचल प्रदेश की पारम्परिक भवन निर्माण शैली में बनी कुल्लू के बंजार स्थित करीब 300 साल पुरानी

चौहणी कोठी

वर्ष 1905 में 7.8 रिक्टर स्केल तीव्रता पर आया भयंकर भूकंप उस समय नौ मंजिला चौहणी कोठी को हिला तक नहीं पाया।

Himachal Pradesh State Disaster Management Authority (HPSDMA)
Department of Revenue
Himachal Pradesh Secretariat
Shimla 171002
Telephone: 0177 2880331, 2880320
E-mail: sdma-hp@nic.in
Website: www.hpsdma.nic.in

HPSDMA